



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 134/2017

दायर दिनांक 18.05.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. विकास पुत्र स्व.मेहराम उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी मामडौदा जिला-नागौर, राजस्थान।	1. पीथा पुत्र स्व. छोगा उम्र 85 वर्ष 2. भीयाराम पुत्र पीथा उम्र 60 वर्ष 3. जेतीदेवी पुत्री पीथा उम्र 33 वर्ष 4. लिछमा पुत्री पीथा उम्र 45 वर्ष 5. रेशमी पुत्री पीथा उम्र 40 वर्ष 6. रामेश्वर पुत्र भीयाराम उम्र 26 वर्ष 7. हरेन्द्र पुत्र स्व. मेहराम उम्र 18 वर्ष 8. सत्यप्रकाश पुत्र स्वा. मेहराम उम्र 27 वर्ष 9. कमलादेवी पत्नि स्व. मेहराम उम्र 45 वर्ष सभी जाति जाट निवासीगण मामडौदा तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज)
बनाम्	10. उप-पंजीयन छोटी खाटू तहसील-डीडवाना। 11. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा-53, 88 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील, वादी।
2. श्री अशोक भाकर वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 06
3. श्री मो. रफीक वकील प्रतिवादी सं0 07 ता 09।

दिनांक 04.03.2021

--: निर्णय :-

सरहद मामडौदा में स्थित संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं0 06 रकबा 29.04 बीघा, खसरा सं0 45 रकबा 45.06 बीघा, खसरा सं0 199 रकबा 05.18 बीघा, खसरा सं0 207 रकबा 45.02 बीघा, खसरा सं0 231 रकबा 18.18 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 13.08.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 536 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)



राजस्व-वाद, संख्या 134/2017  
दायर दिनांक 18.05.2017, निर्णय दिनांक 04.03.2021  
विकास बनाम पीथा, वगौरा।

पर पक्षकारान् सहमत हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार वाके सरहद मामडोदा के खसरा सं० 207 रकबा 45.02 बीघा सम्पूर्ण व खसरा सं० 199 रकबा 5.18 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 45 रकबा 45.06 बीघा में से पूर्व की तरफ 15 बीघा जमीन वादी विकास व प्रतिवादी हरेन्द्र, सत्यप्रकाश व कमला देवी के संयुक्त रूप से बन्ट में रखी गई है। खसरा सं० 06 रकबा 29.04 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी भीवाराम के बंट में, खसरा सं० 45 रकबा 45.06 बीघा में से 25.04 बीघा पश्चिमी तरफ भीवाराम के व इसी खसरा में से पश्चिमी तरफ 5.02 बीघा प्रतिवादी रामेश्वर के बंट में तथा खसरा सं० 231 रकबा 18.18 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी रामेश्वरलाल के बंट में रखी गई है।

बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 536 दिनांक 20.11.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद जरिये राजीनामा अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद मामडोदा में स्थित संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं० 06 रकबा 29.04 बीघा, खसरा सं० 45 रकबा 45.06 बीघा, खसरा सं० 199 रकबा 05.18 बीघा, खसरा सं० 207 रकबा 45.02 बीघा, खसरा सं० 231 रकबा 18.18 बीघा भूमि का "वाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, जरिये राजीनामा व तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 536 दिनांक 20.11.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जिस खातेदार के भूमि रहन दर्ज है। उसके रहन रखा जावें।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 536 दिनांक 20.11.2020 व पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(हनुमानराम चौधरी)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नगौर)

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को सरे ईजलास में सुनाया

गया।

  
(हनुमानराम चौधरी)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नगौर)

डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री हनुमानराम, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 134/2017

दायर दिनाँक 18.05.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. विकास पुत्र स्व.मेहराम उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी मामडौदा जिला-नागौर, राजस्थान।	1. पीथा पुत्र स्व. छोगा उम्र 85 वर्ष 2. भीयाराम पुत्र पीथा उम्र 60 वर्ष 3. जेतीदेवी पुत्री पीथा उम्र 33 वर्ष 4. लिछमा पुत्री पीथा उम्र 45 वर्ष 5. रेशमी पुत्री पीथा उम्र 40 वर्ष 6. रामेश्वर पुत्र भीयाराम उम्र 26 वर्ष 7. हरेन्द्र पुत्र स्व. मेहराम उम्र 18 वर्ष 8. सत्यप्रकाश पुत्र स्वा. मेहराम उम्र 27 वर्ष 9. कमलादेवी पत्नि स्व. मेहराम उम्र 45 वर्ष सभी जाति जाट निवासीगण मामडौदा तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज) 10. उप-पंजीयन छोटी खाटू तहसील-डीडवाना। तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0
	बनाम्

दावा बाबत्  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 04.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मो0 शरीफ शेरानी वकील वादी, श्री अशोक कुमार भाकर वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 06 व श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादी सं0 07 ता 09 की और से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मामडौदा में स्थित संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं0 06 रकबा 29.04 बीघा, खसरा सं0 45 रकबा 45.06 बीघा, खसरा सं0 199 रकबा 05.18 बीघा, खसरा सं0 207 रकबा 45.02 बीघा, खसरा सं0 231 रकबा 18.18 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड वाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, जरिये राजीनामा व तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 536 दिनाँक 20.11.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जिस खातेदार के भूमि रहन दर्ज है। उसके रहन रखा जावें।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 536 दिनाँक 20.11.2020 व पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... वावत.....-.....  
 ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा  
 करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व  
 मुहर अदालत के आज की तारीख 04.03.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
 डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये  
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना  
 डीडवाना (नागौर)